



आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
<u>25.02.2020</u>	<p>न्यायालय, अपर समाहर्ता-सह-आर्बिट्रेटर, धनबाद आर्बिट्रेटर केस नं०-64/2019</p> <p>उत्तम कुमार साव -बनाम्- भारतीय राष्ट्रीय उच्च पथ प्राधिकार एवं अन्य</p> <p>दावेदार के आवेदन के आलोक में निरसा अंचल अंतर्गत मौजा-मेढा, मौज सं०-251, खाता नं०-73, प्लॉट सं०-1251 रकवा-0.0606 एकड़ भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय उच्च पथ-02 के 6 लेन चौड़ीकरण हेतु किये जाने के दौरान जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद द्वारा भूमि का वास्तविक मूल्य एवं उस पर निर्मित संरचना के वास्तविक क्षेत्रफल के आधार पर उचित मुआवजा का भुगतान नहीं किये जाने के निर्णय से क्षुब्ध होकर मध्यस्थ विधि के तहत उचित मुआवजा का भुगतान हेतु यह वाद प्रारंभ किया गया।</p> <p>आवेदक के आवेदन पत्र एवं स्वयं उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत कर बताया गया है कि वर्णित सम्पूर्ण भू-खण्ड चारों तरफ से पक्का चाहरदिवारी से घिरा हुआ है। जिसपर मकान एवं दुकान है। पंचाट मेरे नाम से बना है, तथा भूखण्ड का 6,00,160 रु० भुगतान किया गया है, तैयार इस पंचाट में दिया गया मूल्यांकन दर मान्य नहीं है। भूखण्ड मुख्य सड़क के किनारे अवस्थित है, इसका मूल्य प्रथम अधिसूचना जारी करने के समय भी स्थानीय बाजार भाव में 2,00,000.00 रु० प्रति डी० था। आवेदक द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा-3G (5) के अन्तर्गत उचित मूल्यांकन कर तथा इसके पंचाट में सुधार कर उचित मूल्य भुगतान करने का अनुरोध किया गया है।</p> <p>NHAI के प्राधिकृत अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर लिखित रूप से वाद को Not Maintainable बताकर अस्वीकृत/निरस्त करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही उल्लेख किया भूमि का नियमानुसार गणना कर सही मुआवजा राशि का मुआवजा राशि का भुगतान किया गया है।</p> <p>अतः पक्षों को सुनने एवं कागजातों के अवलोकनोपरान्त मैं पाता हूँ कि वास्तविकता की जाँच आवश्यक है। जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, धनबाद एवं एन०एच०ए०आई० को निदेश दिया जाता है कि वास्तविकता की जाँच करते हुए भूमि का निर्धारित दर पर पुनर्मूल्यांकन कर यदि देय हो तो मुआवजा राशि आवेदक को नियमानुसार भुगतान करना सुनिश्चित करें। तदनुसार वाद की अग्रत्तर कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p> <p> अपर समाहर्ता -सह- आर्बिट्रेटर धनबाद।</p>	